तलाक

(हिन्दू विवाह अधिनियम)

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, रांची

तलाक

(हिन्दू विवाह अधिनियम)

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

तलाक

(हिन्दू विवाह अधिनियम)

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्त्री या पुरूष दोनों ही तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह अधिनियम हिन्दुओं, सिक्खों, बौध धर्म मानने वाले और उन सब व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी न हों।

इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न आधारों पर यह आवेदन किया जा सकता है।

यदि दोनों पक्षों में से कोई भी –

1. शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता हो।

2. शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का व्यवहार करता हो।

3. यदि कोई आवेदन को दो वर्ष पहले से उसके साथ रहना छोड़ दिया हो जब तक कोई ठोस कारण न रहा हो।

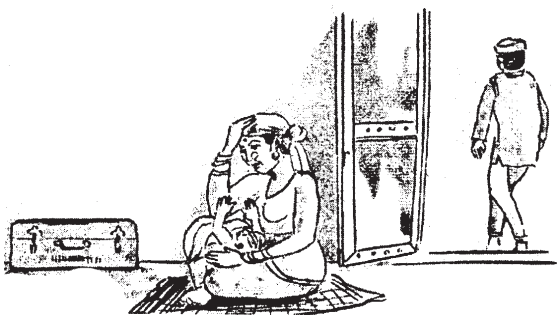

4. दोनों पक्षों में से यदि कोई एक हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो।

5. यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष पागल हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव नहीं हो।

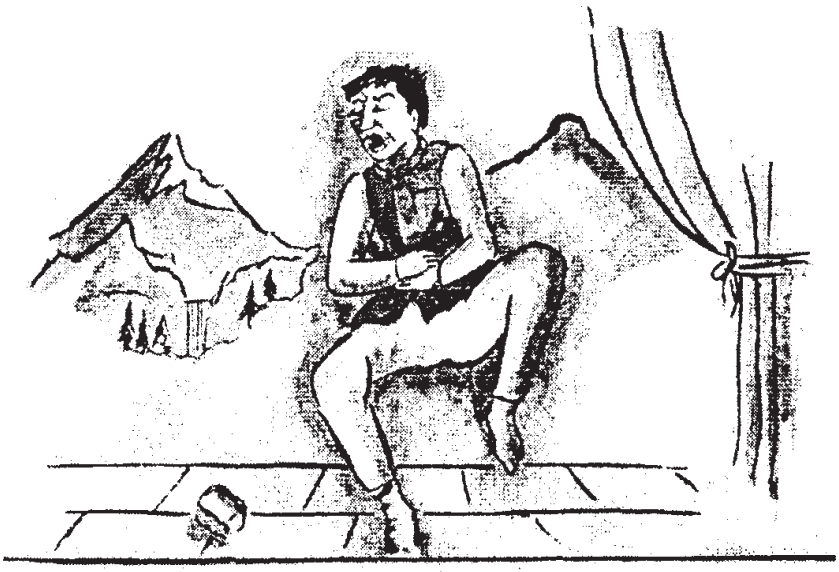

6. अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो।

7. पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।

8. अगर वह अपने परिवार को छोड़कर सन्यास ले ले।

9. अगर उसके किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को उसके जिन्दा होने की कोई भी खबर सात साल तक न मिली हो।

इनके अलावा निम्न आधारों पर पत्नी तलाक ले सकती है।

1. अगर पति शादी के बाद बलात्कार का दोषी हो।

2. अगर शादी के समय पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम रही हो तो वह 18 वर्ष की होने से पहले तलाक ले सकती है।

आपसी सहमति से तलाक लेना –

- आपसी सहमति से दोनों तलाक ले सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवेदन शादी के एक साल बाद ही न्यायालय में दिया जा सकता है।

- इस नियम के अन्तर्गत न्यायालय दोनों पक्षों को सुलह करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय

देता है और उसके बाद भी अगर सुलह न हो तो न्यायालय तलाक का आदेश दे देता है।

❖ तलाकशुदा व्यक्ति दूसरा विवाह तभी कर सकता है, जब कि अपील करने का अधिकार न हो, अपील का समय खत्म हो चुका हो और अपील खारिज कर दी गई हो।

किस न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है ?

हर आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पारिवारिक न्यायालय में या जिला न्यायालय में की जाती है जिसके क्षेत्र में –

1. विवाह हुआ हो।

2. जहाँ दूसरा पक्ष आमतौर पर आवेदन के समय रहता हो।

3. पति–पत्नी दोनों जहाँ आखिरी बार साथ–साथ रहे हों।

आवेदन में किन–किन बातों का विवरण होना चाहिए?

- वह बातें जिनके आधार पर तलाक माँग रहे हैं आवेदन पत्र में उन बातों का स्पष्ट समावेश होना चाहिए।

- आवेदन पत्र में लिखी हुई बातों को आवेदक द्वारा सच साबित करने के लिए साक्ष्यों का होना भी आवश्यक है अथवा उस आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in